



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17207

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3988 वर्ष 2025

जवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सुबेदार शुक्ल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: अचल सिंह, सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 55**

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, तथा भूमि प्रबन्ध समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।

2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“1. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह ग्राम चचोखर, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट स्थित प्लॉट संख्या 243 खा, क्षेत्रफल 0.8490 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में ‘पथरीली भूमि’ के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संस्थित वाद संख्या टी202507190205939 का शीघ्र निर्णय करे।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही लंबित है; अतः उक्त कार्यवाही के समयबद्ध शीघ्र निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार के समक्ष वाद संख्या टी202507190205939 के रूप में लंबित है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विवाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 3-सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील-मऊ, जनपद-चित्रकूट को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त लंबित वाद/प्रकरण का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत, विधि के अनुसार, दोनों पक्षों को समुचित एवं यथोचित सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत, यथाशीघ्र एवं समयबद्ध रूप से निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.\*

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**